

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2020 - 920 / पटना, दिनांक- 28/05/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भारतप्रस्तो

अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वैशाली जिला के Lalganj प्रखंड में Ghataro to Anwarpur (Package No. BR3618) लम्बाई 7.592 किमी 10 तथा राशि रु0 285.82 लाख (दो करोड़ पचासी लाख बयासी हजार रुपये) भाव है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में केन्द्रीय एजेंसी NHPC को विषयाकृत पथ स्वीकृत किया गया था। केन्द्रीय एजेंसीयों द्वारा अपूर्ण छोड़े गये कार्यों को बिहार सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-मु030-4-PMGSY बैठक-49/04 खंड-II-485 अनु0/पटना, दिनांक-20.02.2019 के द्वारा यथास्थिति में विडियोग्राफी करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देश एवं विशिष्टियों के अनुरूप में आवश्यकतानुसार अवशेष कार्यों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने आवश्यकतानुसार अवशेष कार्यों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के द्वारा समर्पित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता-3 के द्वारा 7.592 किमी 10 लम्बाई के लिये अवशेष निर्माण कार्य अनुमोदन प्रदान किये जाने के आलोक में वर्णित योजना पर निम्न शर्तों के साथ प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

2. (क) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मार्गी जाये और उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाये।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप हो।

3. योजना का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा एवं कार्य नामक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5. यह एक केन्द्रीय योजना है। जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये Pro-rata के आधार पर स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन विभाग के योजना बजट शीर्ष-4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जाएगा।

6. पथ निर्माण के लिये राशि रु0 216.19 लाख (निर्माण कार्य हेतु) है। अतः इस पथ के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय एजेंसी NHPC को स्वीकृत राशि में से MoRD द्वारा अनुमान्य अवशेष राशि का 60 (MoRD) द्वारा केन्द्रीय एजेंसी NHPC को स्वीकृत राशि में से MoRD द्वारा अनुमान्य अवशेष राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। निर्माणोपरान्त पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 69.63 लाख है जो बिहार राज्य के गैर योजना बजट शीर्ष 3054 से प्राप्त होने वाले राशि से भारित होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण मद अन्तर्गत विभाग का रु0 900 करोड़ का बजट निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रु0 5086.00 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रु0 333.00 करोड़ का बजट निर्धारित है।

50/2020. 6

27/5/2020

कुल रु 3072.41 करोड वर्तमान में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्तरदायित्व के व्यय के लिए किया जायेगा।

7. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

8. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वयित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम0-4-53/2007-3758 /वि0, दिनांक-31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

10. यह राशि उसी भद्र में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

11. प्राककलन को विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी भाने जाएगे।

13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पूँछ तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

14. विभागीय संकल्प संख्या-4168, दिनांक-22.06.2009 की कंडिका 05 (c) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजनामद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्द्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है।

15. इस योजना के स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार से सचिका संख्या BRRDA(HQ)-PMGSY- 114/2020 के पृ०- 4 /टि० पर दिनांक- 20.5.2020 को प्राप्त है।

16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 4-45/94-301वि (2), दिनांक 31.01.1995, वित्त

विभाग के पत्रांक स्क्रीन (8)-11-2005-5090वि (2), दिनांक 15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-2199 /वि0, दिनांक-24.03.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियमावली, खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग 8 के संकल्प संख्या-मु०अ०-4-PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक- 22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2020 के पृ०- 6 /टि० पर दिनांक- 26.5.2020 को प्राप्त है।

विश्वासमाजन

27/5/2020
(संजय दुबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2020- 920 /पटना, दिनांक- 28/05/2020
प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

27/5/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-114/2020 - 920 /पटना, दिनांक- 28/05/2020
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमुख, ग्रा० का० वि०, विहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा० का० वि०/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०), ग्रा० का० वि०/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

27/5/2020
अपर सचिव

2505.